



न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला अलवर

(पीठारीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 03/107/2024 ऑनलाईन नम्बर 2024/512 प्रवेश तिथि:-13.08.2025

1. बबलू पुत्र स्व० श्री गिराज प्रसाद आयु करीब 46 वर्ष।
2. कन्हैया पुत्र स्व० श्री गिराज प्रसाद आयु करीब 32 वर्ष जातियान नाई निवासीयान ग्राम पलवा तहसील राजगढ हालवासी पुनिया की बगीची चा पप्पू मौहल्ला केडलगंज अलवर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

.....अप्रार्थी

1. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल०आर०एक्ट० 1956

- उपरिथत :1. श्री किशनलाल वर्मा एड० प्रार्थीगण
2. तहसीलदार राजगढ

दिनांक -18.08.2025

निर्णय:-

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 115 आराजी खसरा नम्बर 184/0.06, 185/0.07, 186/0.07, 187/0.06, 192/0.19, 193/0.26, 194/0.23, 195/0.23, 280/0.24, 285/0.27, 286/0.27, 287/0.21 कुल किता 12 कुल रकबा 2.16 है व खाता संख्या 67 खसरा संख्या 200/0.10 गै०मु० चाह वाके ग्राम पलवा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण व उनकी माताजी को बबलू पुत्र गिराज, कन्हैया पुत्र गिराज व उनकी माता गीता पत्नी गिराज के स्थान पर क्रमशः बल्लू पुत्र गिराज, काना पुत्र गिराज व गुडडो पत्नी गिराज दर्ज कर दिया। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काशत की खातेदारी आराजी है। जबकि प्रार्थीगण व उनकी माता के नाम अन्य रिकार्ड में बबलू पुत्र गिराज, कन्हैया पुत्र गिराज व उनकी माता गीता पत्नी गिराज दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व उसकी माता जी सही नाम बबलू पुत्र गिराज, कन्हैया पुत्र गिराज व उनकी माता गीता पत्नी गिराज दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/844 दिनांक 17.04.2025 की मौका जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट से साबित है कि बबलू पुत्र गिराज, कन्हैया पुत्र गिराज व उनकी माता गीता पत्नी गिराज क्रमशः बल्लू पुत्र गिराज, काना पुत्र गिराज व गुडडो पत्नी गिराज एक ही व्यक्ति है। जिसका सही नाम बबलू पुत्र गिराज, कन्हैया पुत्र गिराज व उनकी माता गीता पत्नी गिराज होना बताया गया। तहसीलदार राजगढ की जाँच रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार हाल रिकार्ड जमावदी में प्रार्थीगण व उनकी माता जी का नाम बबलू पुत्र गिराज, कन्हैया पुत्र गिराज व उनकी माता गीता पत्नी गिराज की जगह राहवन से बल्लू पुत्र गिराज, काना पुत्र गिराज व गुडडो पत्नी गिराज दर्ज कर रखा है उसके स्थान पर प्रार्थीगण व उनकी माता का नाम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

बबलू बनाम तहसीलदार राजगढ
मुकदमा संख्या- 03/107/2024
निर्णय दिनांक 18.08.2025

3. बहस स्वयं प्रार्थी सुनी गई। दौरान-ए-बहस बकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दीहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की खाता संख्या 115 आराजी खसरा नम्बर 184/0.06, 185/0.07, 186/0.07, 187/0.06, 192/0.19, 193/0.26, 194/0.23, 195/0.23, 280/0.24, 285/0.27, 286/0.27, 287/0.21 कुल किता 12 कुल रकबा 2.16 है व खाता संख्या 67 खसरा संख्या 200/0.10 गै0मु0 चाह वाके ग्राम पलवा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण व उनकी माता का नाम बबलू पुत्र गिराज, कन्हैया पुत्र गिराज व उनकी माता गीता पत्नी गिराज के स्थान पर बबलू पुत्र गिराज, काना पुत्र गिराज व गुडडो पत्नी गिराज दर्ज कर दिया है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व माता जी नाम बबलू पुत्र गिराज, कन्हैया पुत्र गिराज व उनकी माता गीता-पत्नी गिराज दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार राजगढ की दिनांक 17.01.2025 रिपोर्ट दिनांक 17.04.2025, व प्रार्थी के द्वारा पेश दस्तावेज बबलू आधार कार्ड नम्बर 4405 6868 2279, राशन कार्ड नम्बर 118101000094, भारत निर्वाचन आयोग कार्ड नम्बर वी.डब्लू.के./1355494, पैन कार्ड नम्बर BRGPB7182L व कन्हैया आधार कार्ड नम्बर 6010 4301 4502, राशन कार्ड नम्बर 118101001572, पैन कार्ड नम्बर LXWPS6248A, गीता मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 08104001000000101605/2021, आधार कार्ड नम्बर 9345 5457 5747, जनआधार कार्ड संख्या 4720864010, आदि का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जाँच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः-

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 115 आराजी खसरा नम्बर 184/0.06, 185/0.07, 186/0.07, 187/0.06, 192/0.19, 193/0.26, 194/0.23, 195/0.23, 280/0.24, 285/0.27, 286/0.27, 287/0.21 कुल किता 12 कुल रकबा 2.16 है0 वाके ग्राम पलवा तहसील राजगढ जिला अलवर में बबलू पुत्र गिराज, काना पुत्र गिराज व गुडडो पत्नी गिराज दर्ज है। उसके स्थान पर क्रमशः बबलू पुत्र गिराज, कन्हैया पुत्र गिराज व उनकी माता गीता उर्फ गुडडो पत्नी गिराज दुरुस्त किया जावे। तथा आराजी खाता संख्या 67 खसरा संख्या 200/0.10 गै0मु0 चाह वाके ग्राम पलवा तहसील राजगढ जिला अलवर प्रार्थीगण का नाम बबलू पुत्र गिराज, काना पुत्र गिराज दर्ज कर दिया। उसके स्थान पर क्रमशः बबलू पुत्र गिराज, कन्हैया पुत्र गिराज दुरुस्त किया जावे। तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जगा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा गीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला-अलवर